एअर इंडिया
AIR INDIA

सुरक्षा विनियम

सामान्य नियम :

- अपनी हवाई यात्रा टिकट लाना न भूलें। सुरक्षा स्टाफ द्वारा टर्मिनल भवन के प्रवेश पर इसकी जांच की जाएगी। ई-टिकट रखने वाले यात्री अपने ईटिकट के यात्राक्रम की प्रिंट की हुई प्रति तथा एक फोटो पहचान पत्र जैसे - सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो लगा पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो लगा क्रेडिट कार्ड अवश्य लाएं।

- यदि आपको चिकित्सा उपचार के रूप में शरीर में कोई इम्प्लांट अथवा अन्य कोई उपकरण लगा है और उससे मेटल डिटेक्टर पर अलार्म बजने की संभावना है तो इस तथ्य को सत्यापित करने संबंधी प्रमाण अवश्य लाएं। यद्यपि यह अपेक्षित नहीं है लेकिन इससे स्क्रीनिंग प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने में सहायता मिलती है।

- अपने हाथ में ले जाने वाले सामान में से निषिद्ध वस्तुएं जैसे पॉकेट चाकू, धातू की बनी नुकीली कैंची (धातू और प्लास्टिक की कैंची, जो धारदार न हो, ले जाने की अनुमति है) तथा औजार निकाल लें। यदि आपको कोई भी शंका है तो निषिद्ध तथा अनुमति प्राप्त वस्तुओं की सूची को पुन: जांच लें कि कैरी ऑन अथवा चैक्ड बैगेज में क्या ले जा सकते हैं।

- अपने आसपास हो रही किसी भी संदेहास्पद गतिविधि के प्रति सचेत रहें। यदि आपको कोई लावारिस वस्तु अथवा अपने आसपास कोई संदेहास्पद गतिविधि का आभास होता है तो एयरपोर्ट सुरक्षा को तत्काल सूचित करें। कृपया सचेत रहें।

बैगेज टिप्स

बैगेज के अनुपयुक्त वहन से काफी असुविधा हो सकती है। अत: यात्रियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका सामान उपयुक्त रूप से पैक तथा टैग किया गया है। निम्नलिखित जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी:

- अपने बैगेज में रखी वस्तुओं के बारे में सचेत रहें।
- अपने चैक्ड बैगेज में मूल्यवान वस्तुएं न डालें।

सुरक्षा विनियम

- कृपया यह जानकारी अवश्य लें कि आप अपने साथ कितना नि:शुल्क बैगेज ले जा सकते हैं ।
- नि:शुल्क बैगेज सीमा से अधिक बैगेज के लिए शुल्क लिया जाएगा।
- अपने बैग पर अपने नाम तथा पते का सही-सही लेबल लगाएं। पिछली उड़ान के टैग तथा लेबल हटा दें।
- कृपया यह जानकारी अवश्य लें कि आप अपने हैंड बैगेज में कितना सामान ले जा सकते हैं तथा हाल ही में हैंड बैगेज में किन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- कृपया आप अपनी दवाईयां, महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, मूल्यवान वस्तुएं तथा नकद अपने हैंड बैगेज में ही रखें।
- कनेक्टिंग प्वाइंट पर सुरक्षा अथवा स्थानीय कस्टम कारणों से कुछ स्थितियों में आपको अपने सामान की पहचान अथवा क्लेम करना पड़ सकता है।
- अनजान व्यक्तियों से कोई पैकेट स्वीकार न करें।
- यदि आप अपने साथ कोई हथियार अथवा विस्फोटक सामान ले जा रहे हैं तो उसके संबंध में सूचित करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार की जानकारी छुपाना विमान अधिनियम तथा नियमों के तहत एक अपराध है।
- किसी भी इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक सामान में लगे बैटरी सैल ले जाने की अनुमति है तथा अब उन्हें सुरक्षा प्वाइंट पर निकाला नहीं जाएगा। हैंड बैगेज में रखे खुले बैटरी सैल/ड्राई सैल निकाल दिए जाते हैं तथा एयरलाइन उन्हें गंतव्य पर वापस करने में समर्थ नहीं होती है। कृपया इनका वहन चैक्ड बैगेज में ही करें।
- अपने हाथ के सामान से निषिद्ध सामान जैसे - पॉकेट चाकू, धातू की नुकीली कैंची तथा औजार निकाल लें।
- चेक-इन काउंटरों पर जाने से पहले सुरक्षा कर्मी द्वारा प्रचालित एक्सरे मशीन से होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग कराई जानी अपेक्षित है।
- अपने बैगेज को विशेष रूप से एयरपोर्ट एरिया में किसी भी समय अपनी दृष्टि से दूर/लावारिस न छोड़े, लावारिस सामान को संदेहास्पद होने के कारण एयरपोर्ट सुरक्षा स्टाफ द्वारा हटाया जा सकता है

यात्रियों के लिए महत्त्वपूर्ण जानकारी

सुरक्षा विनियम

- विमान में चढ़ने से पूर्व सभी यात्रियों को सुरक्षा जांच करानी होगी। टिकट/पहचान पत्र की जांच टर्मिनल बिल्डिंग/काउंटर में प्रवेश के समय की जाती है।
- चैक्ड बैगेज की स्क्रीनिंग (जांच) एक्सरे मशीन के माध्यम से की जाती है। एक्सरे स्क्रीनिंग के अतिरिक्त चैक्ड बैगेज की रेंडम फिजिकल जांच भी की जाती है।
- यात्रियों की व्यक्तिगत फ्रिस्किंग भी की जानी अपेक्षित है तथा प्री-बोर्डिंग स्टेराइल एरिया में प्रवेश से पूर्व बैगेज की एक्सरे स्क्रीनिंग की जाएगी।
- चैक्ड बैगेज का मिलान एक आंतरिक मिलान सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। बैगेज मिलान के अतिरिक्त, कुछ एयरपोर्टों पर अपने चैक्ड बैगेज की पहचान स्वयं यात्रियों द्वारा भी कराई जाती है।
- विमान में चढ़ने से पूर्व विमान की सीढ़ियों/बोर्डिंग गेट के पास भी पुन: सुरक्षा जांच (सामान्य स्थिति तथा हाई अलर्ट के दौरान यात्रियों तथा केबिन बैगेज स्क्रीनिंग प्रकिया) की जाती है।
- यदि सुरक्षा जांच पूरी हो जाने के बाद, आपातस्थिति/अनिवार्य स्थिति में यात्री को सुरक्षा होल्ड एरिया से बाहर लाया जाता है तो पुराने बोर्डिंग कार्ड के स्थान पर नया बोर्डिंग कार्ड जारी किया जाएगा तथा यात्री को पुन: सुरक्षा जांच करानी होगी।

विमान में यात्रा के लिए स्मार्ट टिप्स :

- यदि आप अपना जैकेट टांगने के लिए देते हैं तो अपना बटुआ जैकेट में न छोड़ें।
- अपने बैग पर रंगीन रिबन अथवा बड़ा स्पष्ट लेबल लगाएं जिससे आप आसानी से उसे पहचान सकें तथा जिससे कोई भी इसे अपने साथ चोरी से लेकर न जा सके।
- ओवरहैड लॉकर में अपने बैग का ऊपरी हिस्सा नीचे करके रखें जिससे इसके पॉकेट आसानी से खोले न जा सकें। यदि आप इसमें ताला लगा सकें तो बेहतर होगा।
- अपना बैग अपने पास ही रखें, विशेषकर ऐसे स्थान पर जहां से आप उसे देख सकें।
- अपना बटुआ तथा मूल्यवान वस्तुएं अपने हाथ के सामान में किसी चीज में डालकर बिल्कुल नीचे की तरफ रखें अथवा यात्रा की दृष्टि से सुरक्षित पोर्टेबल बैग का उपयोग करें। यदि आप

<u>सुरक्षा विनियम</u>

अपने सामने की सीट के नीचे अपना बैग रख रहें हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि पॉकेट आपके सामने हों।

- यदि आपको लगे कि आपके सामान के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है या कोई संदेहास्पद गतिविधि कर रहा है तो इस बारे में अवश्य बताएं।
- ओवरहैड बिन में सभी यात्री सामान रखते हैं। अत: अपने सामान की जिम्मेदारी आप स्वयं लें, एयरलाइन इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी। अपना सामान सदैव, विशेषकर रात्रि उड़ानों में, अपने साथ ही रखें।
- एयरपोर्ट के सुरक्षा स्क्रीनिंग एरिया में अधिक सर्तक रहें। यहां से अक्सर सामान खो जाते हैं, अत: आप इसके लिए सर्तक व सावधान रहें।

****